न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 25/2018 ::

अपीलांट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. नरेन्द्र पुत्र चम्पालाल 2. सोहनलाल पुत्र नारायणलाल जातिगण गर्ग, निवासीगण दयालपुरा, तहसील व जिला पाली		राज्य सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलांट की ओर से एडवोकेट श्री अयुब खान
रेस्पोडेण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार श्री खीमाराम

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 23/10/18

अपीलांट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, पाली के न्यायालय के प्रकरण संख्या 1526/2018 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम बअनवान सरकार बनाम नरेन्द्र वगैरा आदेश दिनांक 27.04.2018 के विरुद्ध पेश की। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन व अपीलाधीन रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता श्री मनोहरदास वैष्णव ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के पेश कर स्वयं को पक्षकार संयोजित करने हेतु निवेदन किया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने वक्त बहस कथन किया कि पटवारी हल्का दयालपुरा ने अपीलाण्ट को ग्राम दयालपुरा के खसरा नम्बर 687 रकबा 1/2 बिस्वा किस्म गै.मु. रास्ता की भूमि पर पक्की दीवार का निर्माण कर अतिक्रमण करने बाबत रिपोर्ट बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 1526/2018 की पत्रावली कायम कर न्यायालय में उपस्थित होने बाबत अपीलाण्टगण को जरिये नोटिस तलब किया। जिस पर अपीलाण्टगण ने उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया। तब एक अन्य व्यक्ति अधिवक्ता श्री मनोहरदास वैष्णव, जो की शिकायतकर्ता है, उसने प्रकरण में पक्षकार न होते हुए भी लिखित बहस पेश की है। उसके पश्चात दिनांक 27.04.2018 को मातहत अदालत द्वारा अपीलाण्टगण को अतिक्रमी घोषित करते हुए 50/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित कर मौके से बेदखली का आदेश पारित कर दिया। जो की काबिल निरस्त है। जैर अपील आराजी आबादी भूमी है तथा उसका पट्टा पंचायत द्वारा जारी किया गया है। उक्त भूमी के संबंध में कोई भी कार्यवाही का अधिकार ग्राम पंचायत को ही है, न की तहसीलदार को, लेकिन पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर तहसीलदार पाली ने अपीलाण्टगण के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की है, जो न्यायोचित नहीं है। इस संबंध में एक वाद सिविल न्यायाधीश महोदय के समक्ष भी पेश किया गया है, जिससे भी स्पष्ट हो जाता है कि जैर अपील आराज़ी आबादी भूमी ही है, क्योंकि सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आबादी भूमी के ही प्रकरण आते है। जैर अपील आराजी पट्टा सुदा भूमी है जिसका प्रधानमंत्री योजना के अनुसार मकान बनाने का अनुदान भी दिया गया है। उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर अपीलाधीन आदेश अपास्त फरमाया जावें। अधिवक्ता श्री मनोहरदास वैष्णव ने स्वयं को शिकायत कर्ता बताते हुए प्रकरण में पक्षकार बनने हेतु जो प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो विधी सम्मत नहीं है, क्योंकि श्री मनोहरदास वैष्णव तहसीलदार पाली के प्रकरण संख्या 1526/2018 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम बअनवान सरकार बनाम नरेन्द्र वगैरा में पक्षकार नहीं थे। अतः उन्हें जैर अपील प्रकरण में पक्षकार संयोजित नहीं किया जा सकता है।

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

सरकारी पैरोकार ने कथन किया कि अपीलाण्टगण द्वारा ग्राम दयालपुरा के खसरा नम्बर 687 रकबा 1/2 बिस्वा किस्म गै.मु. रास्ता की भूमि पर पक्की दीवार का निर्माण कर अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का द्वारा टी.पी. रिपोर्ट बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली कायम कर न्यायालय में उपस्थित होने बाबत अपीलाण्ट को जरिये नोटिस तलब किया एवं सम्पूर्ण सुनवाई का मौका दिया जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया। जो विधी सम्मत है। जैर अपील आराजी आबादी भूमी नहीं होकर, गै.मु. रास्ते की भूमी होना राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जिससे बेदखल करने की कार्यवाही तहसीलदार के क्षेत्राधिकार में ही आती है, इस प्रकार तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही विधी सम्मत है। जैर अपील आराजी के संबंध में आदेश की पालना में पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक ने अपीलाण्ट को भौतिक रूप से बेदखल कर दिया गया एवं अतिक्रमित आराजी का कब्जा भौतिक रूप से राज्यहित में प्राप्त कर लिया है, जो मातहत अदालत की पत्रावली के संलग्न मौका फर्द दिनांक 04.07.2018 से स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्टगण खारिज फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया गया। अपीलाण्टगण द्वारा ग्राम दयालपुरा के खसरा नम्बर 687 कुल रकबा 6.12 बीघा में से रकबा 1/2 बिस्वा किस्म गै.मु. रास्ता की भूमि पर पक्की दीवार का निर्माण कर अतिक्रमण करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्टगण के विरूद्ध प्रकरण संख्या 1526/2018 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के दर्ज कर, जरिये नोटिस के उनको तलब कर सुनवाई का मौका देने के पश्चात दिनांक 27.04.2018 को मातहत अदालत द्वारा उनको अतिक्रमी घोषित करते हुए 50/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित कर मौके से भौतिक रूप से बेदखली का आदेश पारित कर दिया गया है। जो न्यायोचित है। मातहत अदालत की पत्रावली के अवलोकन में संलग्न नकल जमाबन्दी से स्पष्ट है कि अतिक्रमित आराजी गैर मुमकीन रास्ता की भूमी होने से जैर अपील आदेश पारित किए गए एवं पटवारी हल्का द्वारा उक्त आदेशों की पालना में पुलिस जाब्ते की उपस्थिति में उक्त अतिक्रमण कर बनाई गई दीवार को ढहाकर अतिक्रमित आराजी का कब्जा भौतिक रूप से रूबरू मौतबिरान प्राप्त कर लिया गया है। अधिवक्ता श्री मनोहर दास वैष्णव द्वारा आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर इस स्तर पर किसी प्रकार का सार्थक निर्णय लिए जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से खारिज किया जाता है। उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर जैर अपील आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरुप अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर तहसीलदार, पाली के न्यायालय के प्रकरण संख्या 1526/2018 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम बअन्वान सरकार बनाम नरेन्द्र वगैरा आदेश दिनांक 27.04.2018 में में पारित जैर अपील आराजी से बेदखल करने एवं 50/– रूपये जुर्माना अधिरोपित करने के आदेश को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ प्राप्त मूल रेकर्ड तहसीलदार, पाली को भिजवाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 23/10/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)